केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर रोड़,बीकानेर, राजस्थान –344 006

क्रमांकः 3(4)बीके / 2004 / दिनांकः 04.02.2014

निविदा प्रपत्र सूची

1. भरे हुये निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 28.02.2014 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
2. निविदा खोलने की अन्तिम तिथि : दिनांक 28.02.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अमानत राशि : 3000 / – रूपये
4. निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन
5. निविदा शुल्क : रू.500 / –

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दर प्रति माह सभी करों सहित (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान में ट्रेक्टर चलाने से संबंधित कार्य जैसे ट्रॉली से दाना,चारा, बिल्डिंग मेटेरियल इत्यादि डालना, टेंकर से पानी डालना, फील्ड में कृषि उपकरणों का उपयोग कर जुताई इत्यादि कार्यों को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाना	Rs.________ रूपये ________ ______________________

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के ट्रेक्टर चलाने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा ट्रेक्टर चालक उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान को उपलब्ध करवाऊँगा तथा मैं प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान / हस्तक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत / जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत / राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा। यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ---------

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील---------------

पूरा पता--

टेलीफोन / मोबाईल नं---------------------------

केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,

बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर रोड़,बीकानेर, राजस्थान –344 006

क्रमांकः 3(4)बीके / 2004 / दिनांकः 04.02.2014

निविदा की नियम एवं शर्ते

संस्थान के ट्रेक्टर चलाने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु एक वाहन चालक उपलब्ध करवाने के लिये श्रम विभाग में पंजीकृत एजेंसियों से अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करने हेतु मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते है।

संस्थान के ट्रेक्टर चलाने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / ठेके / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने के लिये एक वाहन चालक उपलब्ध करवाने हेतु नियम व शर्ते

1. निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र / संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। **निविदा संस्थान के प्रभागाध्यक्ष महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 28.02.2014 तक समय 1.00 बजे (दोपहर बाद) तक टेण्डर बॉक्स में डालना होगा।** सशर्त, तार द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किये जाएगें। **ठेकेदार / प्रतिनिधि के पास व्यावसायिक ट्रेक्टर चालने का लाईसेन्स व लाईसेन्स के साथ बेज नं. का प्रमाण पत्र व पेन कार्ड की फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।** निविदा उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाता के समक्ष खोले जाएगें।

2. ठेकेदार को निविदा के साथ 3000 (तीन हजार) रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में प्राप्त की जावेगी। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाईट से डाउनलोड किया जाता है तो कोटेशन प्रपत्र की कीमत रू.500 का अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। बिना अरनेस्ट राशि एवं निविदा प्रपत्र की कीमत के निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल ठेकेदार को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि 10प्रतिशत जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यदेश जारी किया जावेगा।

3. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। दर प्रतिमाह के हिसाब से प्रस्तुत करनी होगी जिसका भुगतान प्रतिमाह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल से किया जावेगा।

4. निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।

5. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

6. निविदादाता या उनके द्वारा नामित किये जाने वाले प्रतिनिधि से निविदा खोलने की तिथि या समिति द्वारा निश्चित की जाने वाली तिथि को ट्रेक्टर चलाने की दक्षता प्रमाणित करने के लिये संस्थान के ट्रेक्टर को चलवाया जा सकता है।

7. ट्रेक्टर चलाने का समय मुख्यालय पर रहने पर 8 से 10 घण्टे का होगा जो कि आवश्यकतानुसार कम ज्यादा हो सकता है

8. ठेकेदार / प्रतिनिधि को सेक्टर ड्यूटी, टी.ओ.टी. एरिया, बीकानेर के लोकल इण्डेन्ट के अतिरिक्त संस्थान के बाहर भी ट्रेक्टर चलवाया जा सकता है।

9. ठेकेदार / प्रतिनिधि के पास ट्रेक्टर चलाने का लाईसेन्स होना अनिवार्य है साथ ही कम से कम पांच वर्ष का ट्रेक्टर चलाने का अनुभव वांछनीय है। चालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा 60 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिये।चालक की आई साईड (आँखे) कमजोर नहीं होनी चाहिये।

10. ठेकेदार / प्रतिनिधि को कार्यालय समय के अतिरिक्त आकस्मिक आधार पर किसी भी समय आवश्यकता होने पर ट्रेक्टर चलाने हेतु बुलाया जा सकता है। ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा तथा इस हेतु कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।

11. ठेकेदार / प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।

12. ठेकेदार / प्रतिनिधि को कार्यालय में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। ठेकेदार / प्रतिनिधि समय पर उपस्थित नहीं हो सकने या देर होने की या अनुपस्थित रहने की स्थिति में दूसरा प्रतिनिधि / ट्रेक्टर चालक तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवाना आवश्यक है, ऐसा विशिष्ठ परिस्थिति में ही स्वीकार किया जावेगा। ऐसे एवजी प्रतिनिधि / चालक में उपरोक्त सभी योग्यताएँ होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसी परिस्थिति में प्रभारी, प्रक्षेत्र को अवगत कराया जाना आवश्यक है। ठेकेदार / प्रतिनिधि अनुपस्थित रहने पर बिल / धरोहर राशि से रू.500 प्रति दिन कटौती की जाएगी। अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

13. अनुबन्धकर्ता को भारत सरकार द्वारा जारी श्रमिक कानूनों एवं इस सम्बन्ध मे समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. ठेकेदार / प्रतिनिधि को वाहन चलाने के साथ–साथ वाहन का रख–रखाव का भी ध्यान रखना होगा एवं ट्रेक्टर की लॉगबुक समय पर पूरी करनी होगी।

15. ठेकेदार / प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदारी / अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत / जमानत राशि जब्त करली ावेगी।

16. ठेकेदार / प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट लिया जावेगा।

17. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

18. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।

19. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।

20. ठेकेदार/प्रतिनिधि को ट्रेक्टर चलाने से पूर्व वाहन की साफ–सफाई, आयल–ग्रीस, हवा, पानी, ईधन आदि से संबंधित समस्त कार्य एवं जांच की पूर्ण जिम्मेदारी रखनी होगी। साथ ही ट्रेक्टर चालक को ट्रेक्टर के ईंधन, आयल, टायर आदि की मितव्ययता का भी ध्यान रखना होगा। ट्रेक्टर किसी भी प्रकार की खराबी की सूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभारी, प्रक्षेत्र को उपलब्ध करानी होगी।

21. ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को उपलब्ध करवाये जाने वाले प्रतिनिधियों/ ट्रेक्टर चालक को स्वयं के खर्चे पर वर्दी उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही प्रतिनिधि अनिवार्यरूप से वर्दी पहनकर ही कार्य पर उपस्थित होवें।

22. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

23. श्रमिको के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल, लेखा जोखा आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को रखने होगें।

24. ट्रेक्टर चलाने से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।

25. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

26. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

27. आप द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

28. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मॉगने पर प्रस्तुत करना होगा।

29. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।

30. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

31. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध ओदश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

32. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

33. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

34. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

4/2/14

सहायक प्रशासनिक अधिकारी